

न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी:-वरुण कुमार शर्मा

व्यवहार वाद क. 95ए/2016
संस्थित दिनांक 25.10.2016
फाईलिंग.नं. 300913/2016

काले खां पुत्र नियामत खां, आयु 74 वर्ष,
 निवासी वार्ड नं.9, कस्बा मौं, तहसील गोहद,
 जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....वादी

विरुद्ध

- 01— अमजद खां पुत्र बाबर खां, आयु 48 वर्ष
- 02— शमशाद खां पुत्र बाबर खां, आयु 50 वर्ष,
- 03— मुनब्बर खां पुत्र तुराव खां, आयु 65 वर्ष,
- 04— अख्तरी वेगम पत्नी अनवर खां, आयु 60 वर्ष,
- 05— रमजान खां पुत्र अनवर खां, आयु 40 वर्ष,
- 06— जाफर खां पुत्र गफ्फार खां, आयु 50 वर्ष,
 समस्त निवासीगण वार्ड नं.9, कस्बा मौं, तहसील गोहद,
 जिला भिण्ड (म.प्र.)
- 07— मध्यप्रदेश शासन

.....प्रतिवादीगण

आदेश

आज दिनांक 14.05.18 को पारित

01— इस आदेश के माध्यम से वादी/आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 आई.ए.नंबर 1 का निराकरण किया जा रहा है।

02— वादी/आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वह मौजा मौं तहसील गोहद की भूमि सर्वे क्रमांक 93 रकवा 0.209, 952 रकवा 0.762, 1015 रकवा 0.293, 1016 रकवा 0.846, 1018 रकवा 0.063, 1020 रकवा 0.293, 1021 रकवा 0.554, 1022 रकवा 1.170, 1023 रकवा 0.021, 1024, 1025 रकवा 0.104, 1026 रकवा 0.826, 1037 रकवा 0.983 के 1/4 भाग का भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3, भूमि में 1/3 हिस्से, प्रतिवादी क्रमांक 4, 5, भूमि में 1/6 हिस्से के तथा प्रतिवादी क्रमांक 6, भूमि में 1/4 हिस्से के सहकृषक हैं। उक्त भूमि वर्तमान मामले में वादग्रस्त है जिसे अत्र पश्चात् वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण

अपने-अपने हिस्से के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार का कोई भी बंटवारा राजस्व अभिलेख में नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि के अंश-अंश भाग पर वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने हिस्से के अनुसार कब्जा होने के कारण उस पर काश्तकारी की जा रही है।

03— आवेदन में यह भी अभिवचन है कि प्रतिवादीगण, वादी को घरोबा में वादग्रस्त भूमि के कभी किसी सर्वे नम्बर पर काश्त करने के लिए दे देते हैं और कभी किसी अन्य नम्बर की काश्त करने के लिए कहते हैं। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से राजस्व न्यायालय में बंटवारा कराने का निवेदन किया है, परंतु प्रतिवादीगण बंटवारे की सहमति नहीं देते हैं और लड़ाई झगड़े पर अमादा हो जाते हैं। दिनांक 23.10.16 को जब वादी, वादग्रस्त भूमि पर फसल बोने की तैयारी कर रहा था तब प्रतिवादीगण मौके पर आए और उससे कहने लगे कि जो जमीन उसने तैयार की है उस पर वह खेती करेंगे। वादी के द्वारा ऐसा करने से मना किए जाने पर प्रतिवादीगण उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। अतः हस्तगत आवेदन के माध्यम से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को अंतरित करने और वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से अस्थाई रूप से निषेधित किए जाने का निवेदन किया।

04 प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 के द्वारा आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन में उल्लेखित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा आपसी सहमति से हुए बंटवारे के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में इस बात का इंड्राज कराए जाने के संबंध में वादी से कई बार कहा गया, परंतु उसने जान बूझकर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रतिवादीगण के अनुसार उनका वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक कण-कण पर हिस्सा है और वादी को सहहिस्सेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

05— प्रतिवादी क्रमांक 7 मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आवेदन का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

06— आवेदन के निराकरण हेतु प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:—

- 01— क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 02— क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में स्थापित है ?
- 03— क्या वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने की दशा

में वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी ?

विचारणीय बिन्दु 1 लगायत 3

07— वादी ने आवेदन के समर्थन में ऋण पुस्तिका क्रमांक 097246 की जो छायाप्रति प्रस्तुत की है उसके प्रतिपृष्ठ भाग में वादग्रस्त भूमि पर वादी काले खाँ का 1/4 हिस्सा, बाबर एवं मुनब्बर खाँ का 1/3 हिस्सा एवं रमजान, अख्तरी बेगम का समभाग, गफ्फार खाँ का 1/4 हिस्सा होना लेख है। उक्त तथ्यों की पुष्टि वर्ष 2015-16 के खसरे से भी होती है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त दस्तावेजों के खंडन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08— उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा अवश्य है और वास्तविकता में कितने हिस्से का वह स्वत्वधारी है इसका निर्धारण साक्ष्य लेने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर किया जाना है। इस प्रकार वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष विधि का ऐसा सारभूत प्रश्न उद्भूत किया गया है जिसका न्याय निर्णयन किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में स्थापित पाया जाता है।

09— जहां तक प्रश्न सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का है तो यदि दावे के दौरान प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि को अंतरित कर दिया जाता है तो उससे वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत दावे के निराकरण तक प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि अंतरित करने से निषेधित करने पर उन्हें अपेक्षाकृत अधिक असुविधा होगी, ऐसा दर्शित नहीं है और न ही प्रतिवादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकेगी। अतः सुविधा के संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु वादी के पक्ष में स्थापित हैं।

10— वादी के द्वारा हस्तगत आवेदन के माध्यम से प्रतिवादीगण को उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किए जाने का अनुतोष भी चाहा गया है जिसके संबंध में यह अवलोकनीय है कि स्वयं वादी के द्वारा ही यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादीगण उसे बदल-बदल कर भूमियों पर काश्तकारी करने के लिए देते हैं। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा नक्शा भी पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वह वर्तमान में वाद ग्रस्त भूमि की किस दिशा एवं किस भाग के आधिपत्य में है अर्थात् जहां कि आधिपत्य से संबंधित भू-भाग

विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है वहां वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

11— फलतः वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियत 1 व 2 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण अथवा न्यायालय के आगामी आदेश दोनों में से जो भी पूर्व में हो तक वादग्रस्त भूमि को विक्रय अथवा अंतरित न करें।

12— आवेदन के निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(वरुण कुमार शर्मा)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(वरुण कुमार शर्मा)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु
सासकीय / विधिक उपयोग